रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 510] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 1987/आश्विन 16, 1909
No. 510] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 1987/ASHVINA 16, 1909

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 895(अ):—केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा (2) की उपधारा (क) के अनुसरण में, कृषि जलवायु सम्बन्धी दशाओं को, जो विद्यमान हैं, या जिनके विद्यमान होने की सम्भावना है, गन्ने

की मात्रा को जो पिराई के लिए उपलब्ध है, या जिसके उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, चीनी वर्ष 1987-88 के लिए तारीख पन्द्रह नवम्बर, 1987 को नियत दिन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

सं. 9-39/87-एन.एस.यू./शुगर डेस्क-1

वी० लक्ष्मी रत्न, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 8th October, 1987

NOTIFICATION

S.O. 895(E).—In pursuance of Sub-section (a) of Section 2 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978), the Central Government hereby specifies, having regard to the agro-climatic conditions prevailing or likely to prevail, the quantity of cane available or likely to be available for crushing and other relevant factors, the fifteenth day of November, 1987 as the 'appointed day', for the sugar year 1987-88.

[No. 9-39/87-NSU/S.D.I.]

V. LAKSHMI RATAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987